FAX: (91) 542-2368487
Website: www.bhu.ac.in
Ph. No. 0542 – 2368487, 230-7251, 6701762

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा जारी अधिसूचना सं0 225, सन् 1916 द्वारा स्थापित)

सम्पदा कार्यालय

निविदा की नियम एवं शर्तें

1. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सर सुन्दर लाल चिकित्सालय परिसर स्थित वाहन/साईकिल स्टैंड चलाने हेतु मात्र ग्यारह माह के लिए मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. निविदा प्रपत्र केंन्द्रीय कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्पदा कार्यालय (कक्ष सं0 42) में 11.00 बजे से 3.00 बजे के बीच किसी भी कार्य दिवस में रू0 200.00/–(रूपये दो सौ मात्र) के नकद भुगतान पर दिनांक 26.12.2012 से दिनांक 12.01.2013 तक प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक .. 12.01.2013 सायं 4:00 बजे है।
3. प्रत्येक निविदा के साथ रू0 10,000/– (रू0 दस हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी के रूप में जो कुलसचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के पक्ष में देय हो को संलग्न करना अनिवार्य है। चेक अथवा नकद भुगतान स्वीकार नहीं किये जायेगें। उक्त अर्नेस्ट मनी को सफल व्यक्ति/संस्था के निविदा राशि में समायोजित कर लिया जायेगा एवं अन्य को अर्नेस्ट मनी लौटा दी जायगी। **डिमांड ड्राफ्ट को लिफाफे के अन्दर ना रखें।**
4. अधितकम निविदा राशि अंकित करने वाले व्यक्ति/संस्था की निविदा को सफल निविदा माना जायेगा तथा उनके द्वारा अंकित राशि को वाहन/साईकिल स्टैंड हेतु प्रतिमाह की लाईसेन्स फीस मानी जायेगी।
5. सफल व्यक्ति/संस्था का चयन सुनिश्चित हो जाने के पश्चात उनके द्वारा प्रस्तावित निविदा राशि की कुल धनराशि निविदा खुलने के 7 दिनों के अन्दर जमा कर देना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ वाहन/साईकिल स्टैंड चलाने हेतु धरोहर राशि जमा करनी होगी जो कि लाईसेंस फीस के तीन गुने के बराबर होगी। अर्नेस्ट मनी वापसी के समय किसी प्रकार का उस पर ब्याज नहीं दिया जायेगा। **निविदा में लगायी गयी कुल धनराशि तथा अर्नेस्ट मनी को जमा करने पर ही सफल व्यक्ति/संस्था को उपरोक्त वाहन/साईकिल स्टैंड चलाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि चयनित व्यक्ति/संस्था उपरोक्त वाहन/साईकिल स्टैंड चलाने के इच्छुक नहीं है एवं उनके द्वारा जमा की गयी रू0 10,000/– की अर्नेस्ट मनी को जब्त कर लिया जायेगा, साथ ही साथ अगली अधिकतम राशि अंकित करने वाली निविदा पर विचार किया जायेगा।**
6. विश्वविद्यालय किसी एक अथवा सभी निविदाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार रखता है।

7. निविदा में प्रस्तावित राशि सुपाठ्य एवं साफ सुथरी होनी चाहिए। निविदा राशि शब्दो एवं अंको दोनो में अंकित होनी चाहिए। निविदा राशि में की गयी किसी भी प्रकार का संशोधन (Overwriting) निविदा को निरस्त करने के लिए पर्याप्त है। यदि शब्दो एवं अंको में दर्शायी गयी राशि में किसी प्रकार का अन्तर होता है तो दोनो में से जो अधिक राशि होगी वही मान्य होगी। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
8. दो या दो से अधिक व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा अंकित की गई निविदा राशि समान पाये जाने पर, वाहन/साईकिल स्टैंड संचालन हेतु व्यक्ति/संस्था के चयन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
9. अहस्ताक्षरित निविदा को अयोग्य घोषित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।
10. इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं को यह सुझाव दिया जाता है कि वे निविदा राशि अंकित करने से पूर्व उक्त वाहन/साईकिल स्टैंड का अवलोकन करने के पश्चात् इस सुविधा के लाभार्थीयों तथा स्टैण्ड हेतु उपलब्ध एरिया का आकलन करके निविदा राशि अंकित करें, क्योंकि बाद में इन्हें आधार बनाकर निविदा दर में किसी प्रकार की शिथिलता का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
11. उक्त वाहन/साईकिल स्टैंड के आवंटी द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रों/अध्यापकों एवं कर्मचारियों से कोई पार्किंग शुल्क नहीं वसूल किया जायेगा।
12. वाहन/साइकिल स्टैण्ड में नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियो द्वारा साईकिल स्टैण्ड के लाभार्थियों एवं विश्वविद्यालय के छात्रों/कर्मचारियों एवं अध्यापकों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा होगी।
13. वाहन/साइकिल स्टैण्ड के संचालक को पार्किंग हेतु आए वाहनों को पार्किंग हेतु निर्धारित क्षेत्र में ही रखना होगा।
14. चयनित व्यक्ति/संस्था किसी भी रूप में वाहन/साईकिल स्टैंड के संचालन हेतु बाल श्रमिक को नहीं रखेगी।
15. चयनित व्यक्ति/संस्था के द्वारा नियुक्त वाहन/साईकिल स्टैंण्ड में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को किसी भी संक्रामक बीमारी से ग्रसित होने पर तत्काल प्रभाव से उन्हें तुरन्त सेवा से वंचित करना होगा।
16. विश्वविद्यालय सेवा में कार्यरत कोई भी कर्मचारी उपरोक्त निविदा को नहीं भर सकता।
17. वाहन/साईकिल स्टैंण्ड में लिए जाने वाला शुल्क निम्न दर से होगा।

(I)	बस	रू0 50/– प्रति वाहन
(II)	चार पहिया वाहन	रू0 20/– प्रति वाहन
(III)	स्कूटर/मोटरसाइकिल	रू0 5/– प्रति वाहन
(IV)	साईकिल	रू0 2/– प्रति वाहन

कुलसचिव
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय